उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1

संख्या– 4494/आठ–1–07– 34 विविध/03टीसी–1

लखनऊ : दिनांक : 07 दिसम्बर, 2007

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय याजनाओं हेतु भूमि अर्जन/लैण्ड असेम्बली एवं विकास के नीति के क्रियान्वयन हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या–5873/आठ–1–05–34 विविध/टीसी–1, दिनांक 12 जनवरी, 2006 के माध्यम से गठित समिति में तत्कालिक प्रभाव से शासन के प्रतिनिधि के रूप में नामित सदस्य, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के उपलब्ध न होने पर उनके स्थान पर एन.सी.आर. क्षेत्र हेतु चीफ को–आर्डिनेटर प्लानर एन.सी.आर. सेल तथा अन्य क्षेत्रों हेतु सम्बन्धित मण्डल के सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र. द्वारा भाग लिया गया।

2– उक्त नामित सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि समिति की बैठकों में जाने से पूर्व वे मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक से लिखित परामर्श (एजेण्डा के विभिन्न बिन्दुओं पर) प्राप्त करेंगे और तद्नुसार मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक का मत अवगत करायेगें। समिति की अन्य संरचना पूर्ववत् बनी रहेगी।

शंकर अग्रवाल
प्रमुख सचिव

संख्या– 4494(1)/आठ–1–07, तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ.प्र.।
3. मुख्य अभियन्ता समस्त विकास प्राधिकरण/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
4. वित्त नियंत्रक, समस्त विकास प्राधिकरण/उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद।
5. सम्बन्धित विकास प्राधिकरण/परिषद के मुख्य नगर नियोजक/प्रभारी नियोजक/मुख्य वास्तुविद।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को इस आशय से साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से समस्त सम्बन्धितों को प्रेषित करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र कुमार गोयल
विशेष सचिव